18/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस त.1 आवेदन दिनांक 25/6/24 को पेश हो।

25/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 1/7/24 को पेश हो।

1/7/24 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/7/24 को पेश हो।

5/7/24 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9/7/24 को पेश हो।

9/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० पत्रावली वास्ते बहस त.1 आवेदन दिनांक 10/7/24 को पेश हो।

10/7/24 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/7/24 को पेश हो।

25/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित है। पत्रावली वास्ते वकील बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश/निर्णय त.1 आवेदन दिनांक 29/7/24 को पेश हो।

29/7/24 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित दौराने बहस वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 112, 125, 76 व 110 स्थित वाके ग्राम सिहोट बड़ी तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है। आवेदन में विवादित कृषि भूमि

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

महावीर सिंह बनाम रामगोपाल

प्रकरण 106/2022

प्रार्थी व प्रतिवादीगण 1 ता 3 के पूर्वजों द्वारा आपसी मौखिक 40 वर्ष पूर्व बंटवारा कर लिया था। जिसके मुताबिक खसरा नम्बर 112, 125, 76 वाके ग्राम सिहोट बड़ी तहसील धोद आपसी सहमति से बंटवारे में प्रार्थी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पूर्वज [illegible] सिंह के हिस्से व कब्जे में आई थी। [illegible] सिंह के [illegible] सिंह के हिस्से व कब्जे में आई थी। [illegible] सिंह के पुत्र मांगू सिंह के हिस्से में आई। [illegible] प्रार्थी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हिस्से वाली में आई। [illegible] प्रार्थी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त है। विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 110 वाके ग्राम सिहोट बड़ी अप्रार्थी के पूर्वज मोहन सिंह के हिस्से व कब्जे में आई जिस पर वर्तमान में अप्रार्थी काबिज काश्त है। जिसने अपने हिस्से में से प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को भी भूमि विक्रय ख०नं० 110 में से प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को भूमि विक्रय किया। इस मुताबिक प्रार्थी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 कृषि भूमि ख०नं० 112, 125, 76 वाके ग्राम सिहोट बड़ी के पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी हैं तथा अप्रार्थी व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 खसरा नम्बर 110 वाके ग्राम सिहोट बड़ी के पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी हैं। प्रार्थी ने दिनांक 01.09.2022 को अप्रार्थी को अपने पूर्वजों द्वारा किये गये मौखिक एवं आपसी बंटवारे के मुताबिक खातेदारी दुरुस्त सहमति से करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने सहमति से खातेदारी पृथक करवाने से इनकार कर दिया। तथा समस्त कृषि भूमियों में उसका नाम खातेदारी में होने का फायदा उठाकर विवादित कृषि भूमि को औने-पौने दामों में बेच देगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया का मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी/वादी के पक्ष में पुष्ट व प्रमाणित है। तथा अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को हो रही है। इस कारण दौरान दावा/मुकदमे के निस्तारण तक उभयपक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है।

दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने जवाब आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य सहखातेदारान के पूर्वजों द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि का 40 साल पहले बंटवारा किये जाने का कथन गलत है। पक्षकारान आज भी अपने हिस्से अनुसार वादग्रस्त भूमियों में शामलाती काश्त कर रहे हैं। जवाबदाता का भूमि खसरा नम्बर 112, 125, 76 व 110 में 1/2, 1/2 हिस्सा विरासत से प्राप्त है। भूमि खसरा संख्या 110 में से 28/149 हिस्सा ओमकंवर व 28/149 हिस्सा उर्मिला कंवर को जवाबदाता के हिस्से में से भूमि का विक्रय पूर्व में कर दिया है। जवाबदाता के अनुसार आने का कथन तथा नम्बर 110 ही आपसी बंटवारे

अभिभाषक संघ, सीकर

उक्त खसरा नम्बर पर मात्र जवाबदाता का कब्जा काश्त होने का कथन गलत है। इस प्रकार प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में जवाबदाता के उपयोग उपभोग व काश्त में अड़चन करना चाहता है। व प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति होनी नहीं हो रही है। इसप्रकार प्रार्थी का आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया का मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में सुदृढ़ है तथा अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी। इसप्रकार न्यायालय आवेदन अन्तर्गत धारा 212 को स्वीकार किया जाना न्यायालय न्यायोचित समझता है।

अतः आवेदन अन्तर्गत आदेश 212 RT Act स्वीकार किया जाता है। विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 112, 125, 760, 110 वाके ग्राम सिहोट बड़ी तहसील धोद में उभयपक्ष को तादौरान दावा/मूल वाद के निस्तारण तक बेचान न करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

यह फैसला आज दिनांक 29/7/24 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर